भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3083

08 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड"

3083. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की अब तक बंद हो चुकी अथवा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) को भेजी गई इकाइयों का राज्य/इकाई-वार संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को 1997 के वेतनमान मिल रहे हैं जबकि एचएमटी लिमिटेड के कर्मचारियों को 2007 के वेतनमान मिल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इन एक जैसी कंपनियों के कर्मचारियों के वेतनमानों में भिन्नता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पिछले पांच वर्षों से भविष्य निधि, उपदान, पेंशन और अन्य लाभों जैसे अंतिम लाभों का भुगतान नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की किसी भी इकाई को सरकार ने अब तक बंद नहीं किया है।

(ख) और (ग): एचएमटी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है जबकि एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड इसकी सहायक कंपनी है। इस प्रकार, ये दोनों अलग-अलग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम (सीपीएसई) हैं। एचएमटी लिमिटेड को 2007 का वेतनमान दिया गया था क्योंकि वह इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित वेतनमान का भुगतान करने के सामर्थ्य के मानदंड को पूरा कर रहा था। दूसरी ओर, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड उपरोक्त मानदंड को पूरा नहीं करता था और इसलिए, उसे 2007 का वेतनमान नहीं दिया जा सका।

(घ) और (ङ): सीमित धन के कारण, पिछले पांच वर्षों के दौरान एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार सेवांत लाभों का भुगतान करता रहा है और अदालती आदेश के आधार पर तथा लंबी बीमारी/बेटी की शादी के मामलों में करुणा के आधार पर कुछ कर्मियों को अपवादस्वरूप बारी से पहले भुगतान किए गए हैं। एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम होने के नाते एक अलग विधिक इकाई है और उसे भविष्य निधि, ग्रैच्युटी, पेंशन जैसे सेवांत लाभों और अन्य लाभों का भुगतान करने के लिए स्वयं के संसाधन सृजित करने की आवश्यकता है।

***